

मध्यप्रदेश विधान सभा

जून - अगस्त, 1991 सत्र

दैनिक कार्य सूची
गुरुवार, दिनांक 9 अगस्त, 1991 (श्रावण 17, 1913)
समय 10.30 बने

1- निधन का उल्लेख.

श्री प्रताप सिंह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य के निधन का उल्लेख.

2- प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3- भर्त्सना.

निम्नलिखित की भर्त्सना -

- (1) श्री आर. के. चौधरी, उप पुलिस अधीक्षक (निलम्बित).
- (2) श्री अजय सिंह बिसेन, नगर निरीक्षक (निलम्बित).
- (3) श्री बच्चन सिंह, निरीक्षक (निलम्बित).

4- पत्रों का पटल पर रखा जाना.

श्री रामाहित गुप्त (वित्त मंत्री) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के निर्यंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष का क्रमांक-2 (वाणिज्यिक) पटल पर रखेंगे.

5- नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

- (1) श्री चन्द्रशेखर साहू, सदस्य, रायपुर स्थित गंगरेल बांध से बिना पूर्व सूचना के पानी छोड़ने से जन-धन की हुई हानि की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (2) श्री ब्रह्मकुलाल भेड़िया, सदस्य, बाणसागर परियोजना की सिहावल नहर कार्य के भुगतान में की गई अनियमितताओं की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (3) सर्वश्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, नन्द कुमार पटेल, सदस्य बिलासपुर जिले के कोटा विधान सभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों में आंत्रशोथ की बीमारी से कई लोगों की हुई मृत्यु की ओर राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (4) सर्वश्री ललित जैन, हरीसिंह नरवरिया, सदस्य प्रदेश के कनिष्ठ सेवा चयन मंडल द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही न किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (5) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य, बिलासपुर जिले के बुनकर सहकारी समितियों की लंबित राशि का भुगतान न हो पाने की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (6) चौधरी राकेश सिंह, श्री गजराज सिंह सिकरवार, डा. गोविन्द सिंह, सदस्य भोपाल के देह व्यापार में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न हो पाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (7) श्री आरिफ अक्रील, सदस्य भोपाल के क्षेत्रीय नेत्र चिकित्सा संस्थान कायम न करने से मरीजों को हो रही परेशानी की ओर राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (8) श्री मोतीलाल बोरा, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम कोल्हूहांडा में हुई लूट की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (9) चौधरी राकेश सिंह, श्री आरिफ अक्रील, श्री ललित जैन, सदस्य प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने से जन-धन की हुई हानि की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (10) श्री किशोर सखवार, सदस्य, धिण्ड जिले के लहार कस्बे की शासकीय भूमि पर अवैध रूप से दुकानों के निर्माण किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (11) श्री राजेन्द्र पाम्भोई, श्रीमती रामरानी जौहर, डा. गोविन्द सिंह, सदस्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में आंत्रशोथ की बीमारी से अनेक लोगों की मृत्यु होने की ओर राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (12) ठाकुर दरबार सिंह, श्री जालम सिंह पटेल, श्री रामानन्द सिंह, सदस्य वर्ष 1991 हेतु संग्रहीत तैदूपत्ते को कम कीमत पर बेचे जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (13) श्री गोपाल भार्गव, सदस्य प्रदेश के बीड़ी मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी न दिये जाने की ओर राज्य मंत्री श्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे.

6- अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 180 वाराणसिखनी से निर्वाचित सदस्य श्री के. डी. देशमुख को विधान सभा की दिनांक 29 जुलाई, 1991 से सत्र की शेष अवधि तक अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

7- प्रतिवेदन की प्रस्तुति.

श्री चन्द्रशेखर साहू, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का इक्कीसवां, बाईसवां, तेईसवां, चौबीसवां एवं पच्चीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

8- याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) श्री विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, सदस्य -

- (क) सतना के ग्राम सेल्हना की मगरदहा नदी पर पुलिया निर्माण कराने,
- (ख) तहसील गुद के ग्राम नरेहा में पंचायत भवन बनाने,
- (ग) गुद के ग्राम नरहा में बस स्टेण्ड बनाने,
- (घ) गुद के ग्राम नरहा में जूनियर हाईस्कूल खोलने,
- (ड.) तहसील चुरहट के ग्राम मेलकी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,
- (च) गुद के ग्राम उमरिहा की प्राथमिक शाला का भवन निर्माण कराने,

(2) श्री बद्रीलाल सोनी, सदस्य -

- (क) तहसील नलखेड़ा में कोषालय की स्थापना कराने,
- (ख) नलखेड़ा नगर में टंकी एवं फिल्टर प्लांट निर्माण कराने,
- (ग) नलखेड़ा में महाविद्यालय प्रारंभ कराने,
- (घ) नलखेड़ा-मोदन-बडोरिया मार्ग की मरम्मत एवं पुलियों का निर्माण कराने,

(3) डा. गोविन्द सिंह, सदस्य -

- (क) भिण्ड के ग्राम सुजानपुरा में हैण्डपम्प लगाये जाने,
- (ख) ग्राम छान में खरन्जा एवं नाली निर्माण कराने,
- (ग) ग्राम छोला में स्कूल भवन निर्माण कराने,
- (घ) ग्राम जाखोली में पशु चिकित्सालय खोले जाने,

(4) श्री दिनेश कश्यप, सदस्य -

- (क) जगदलपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग-47 बोरपदर से मूलीतर तक मार्ग निर्माण एवं पुल-पुलिया बनाने,
- (ख) जगदलपुर-कलचा मार्ग के पोडसे बहार नाले पर ऊंचा रपटा बनाने,
- (ग) जगदलपुर नगर की गतियों का निर्माण कराने,

(5) श्रीमती जयश्री बैनर्जी, सदस्य -

- (क) जबलपुर के पोली पाथरा में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण कराने,
- (ख) पोली पाथरा में हाईस्कूल प्रारंभ कराने,

(6) श्री हरीसिंह नरवरिया, सदस्य-

- (क) जिला भिण्ड के ग्राम मुश्तरा से मेहगांव तक सड़क निर्माण कराने,
- (ख) ग्राम नुनहड़ के नाले को पक्का किये जाने,

(7) श्री अशोक कुमार चौरसिया, सदस्य -

- (क) छतरपुर के ग्राम जखरोन-सटई-हटवास मार्ग के नाले पर पुल निर्माण कराने,
- (ख) छतरपुर के सूरजपुरा कला में पुलिस चौकी की स्थापना कराने,

(8) श्री पुष्पराम सिंह, सदस्य, रीवा में पृथक जिला चिकित्सालय खोलने,

(9) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य, विधान सभा क्षेत्र सीतामऊ के ग्राम वणी में गोचर भूमि पर अतिक्रमण रोकने,

(10) श्री रमेश दुबे, सदस्य, विकासखण्ड चीरई में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(11) श्री आरिफ अक्रील, सदस्य, भोपाल के आरिफ नगर में सड़क, पानी एवं बिजली की व्यवस्था कराने,

(12) श्री रमाकान्त तिवारी, सदस्य, जिला रीवा, विकासखण्ड जवा के जवा-सिततहा मार्ग के बीच टमस नदी पर पुल निर्माण कराने,

(13) श्री उमाशंकर मुंजारे, सदस्य, तहसील वारासिवनी के भूमिहीनों को भूमि पट्टा दिलाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

9- राज्य मंत्री, गृह का बक्तव्य

डा. गौरी शंकर शेजवार, राज्य मंत्री, गृह दिनांक 26 जुलाई, 1991 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्रमांक 999) के उत्तर में संशोधन किये जाने के संबंध में बक्तव्य देगे.

